संख्या-12/2017/आडिट-1-938/दस-2017-308(3)/2015

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0
नवां तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 09 अक्टूबर, 2017

विषय : जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर तैनाती के उपरान्त अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-299/अ-5/2017, दिनांक 25-09-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-7/2016/आडिट-665/दस-2016-322(17)/2015, दिनांक 09-03-2016 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर-3 में आहरण एवं वितरण के सम्बन्ध में पूर्व से ही स्पष्ट व्यवस्था/दिशा-निर्देश विद्यमान है, जो निम्नवत् है :-

"जिन-जिन जनपदों में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी तैनात नहीं हैं, उन जनपदों में सहकारी समितियां एवं पंचायतें के कार्यालयों के आहरण-वितरण कार्य हेतु उक्त जनपदों के मण्डल में तैनात उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 09-03-2016 में उल्लिखित उक्त व्यवस्था/दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

शिव गोपाल सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in